रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-71

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 31] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 20, 1986/पौष 30, 1907
No. 31] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 20, 1986/PAUSA 30, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 1986

सं. 19-सीमा-शुल्क/86

सा. का. नि. 42 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 159 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यात्री सामान (छूट की शर्तें) नियम, 1975 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम यात्री सामान (छूट की शर्तें) संशोधन नियम, 1986 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. यात्री सामान (छूट की शर्तें) नियम, 1975 के नियम 2 में :—

(1) खण्ड (ख) में :—

(अ) "टी. वी. सैट" पद जहां भी आता है उसके स्थान पर "अन्य माल" शब्द रखे जाएंगे ;

(आ) "ऐसे टी. वी. सैट" शब्दों के स्थान पर, "ऐसे माल" शब्द रखे जाएंगे ;

(इ) अन्त में आने वाले शब्द "या" का लोप किया जाएगा ;

(2) खण्ड (ग) का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. 495/5/85-सी. यू. एस.1]
आर. एस. सिद्धू, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 1986

No. 19-Customs|86

G.S.R. 42(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 79 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Baggage (Conditions of Exemption) Rules, 1975, namely :—

1. (1) These rules may be called the Baggage (Conditions of Exemption) Amendment Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Baggage (Conditions of Exemption) Rules, 1975 in rule 2—

(i) in clause (b),—

(A) for the expression "a T. V. set", wherever it occurs, the words "other goods" shall be substituted;

(B) for the words and abbreviation "such T. V. set has been", the words "they have been" shall be substituted;

(C) the word "or", occuring at the end, shall be omitted;

(ii) clause (c) shall be omitted.

[F. No. 495|5|85-CUS. VI]
R. S. SIDHU, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986